

No.



नगर विकास न्यास, कोटा

आवेदन पुस्तिका

द्वैवनाशायण नगर एकीकृत

पशुपालक

आवासीय योजना

में रियायती दरों पर आवास

मय पशु बाड़ा तथा भूसा गोदाम, पशुआहार विक्रय
एवं डेयरी हेतु भूखण्डों का आवंटन

नगर विकास न्यास, कोटा



श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री
राज. सरकार



श्री शांति धारीवाल
नगरीय विकास, स्वायत्त शासन
एवं आवासन मंत्री, राज. सरकार

आवेदन पत्र विक्रय

आरम्भ करने की तिथि

20-08-2020

आवेदन पत्र जमा

करने की अन्तिम तिथि

11-09-2020

100/-

नगर विकास न्यास कोटा से भूखण्ड क्रय हेतु ई-ऑक्शन की प्रक्रिया।

URBAN IMPROVEMENT TRUST, KOTA

TERMS AND CONDITION OF AUCTION

(कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में नीलामी में भूखण्ड क्रय करने पर विशेष शिथिलताओं सहित)

1. Earnest money : Every bidder shall be required before being permitted to bid in auction to deposit an earnest money (in short EMD) @ 2% of the bid start price of the plot which shall be refunded to him at the close of the bid or adjusted against premium, in case of successful bidder.
2. The highest bidder shall be required to deposit 15% amount of his bid within three working days from the date of auction. In case of failure to deposit the said amount within prescribed time limit, the EMD deposited by the bidder shall be forfeited and auction of land shall automatically stand cancelled.
3. After acceptance of the Bid the successful bidder shall deposit 35% of the Bid amount within 240 days from the date of Auction. If bidder fails to deposit 35% amount within 240 days, after expiry of above period bidder may deposit due amount in next 60 days or within extended time period as per provisions along interest at the rate of 15% on remaining amount from the date of auction.
4. Successful bidder shall deposit remaining 50% of the Bid amount within 360 days from the date of Auction. If bidder fails to deposit 50% amount within 360 days, after expiry of above period bidder may deposit due amount in next 90 days along interest at the rate of 15% on remaining amount from the date of auction.
5. If the successful bidder deposit the full amount within 15 days from the date of demand note, he will get 2% rebate of the bid amount.
6. In case of failure to deposit the amount within the extended time period, the 15% amount initially deposited shall be forfeited and auction of the land shall automatically stand cancelled.
7. The bidder will have to submit the copy of PAN card.
8. Bid shall be acceptable in multiples of Rs. 10/- Per Sq. Ft in case of Residential Plot, Rs. 50/- Per Sq. Ft in case of Commercial Plot and Rs. 1000/- Per House/Constructed Shop.
9. Property is being sold on "as is where is" basis.
10. Area of plot can be increased or decreased as per actual site conditions. In case of excess area, extra amount will have to deposit and in case of short area, amount will be refunded.
11. The bidders are expected to kindly visit the site of proposed plot before participation in the bid process.
12. UIT, Kota reserves the right to accept or reject the highest bid, which shall be final and binding.
13. Terms & Conditions of UIT, Kota shall apply.
14. As per Income Tax proviso 194-IA a Transferee (Purchaser) is responsible to deposit 0.7% TDS of immovable property which cost is 50 lakhs or more than 50 lakhs.

नगर विकास न्यास कोटा से ई-ऑक्शन की प्रक्रिया के तहत भूखण्ड की नीलामी में भाग लेने की प्रक्रिया:-

1. ई ऑक्शन की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु सर्वप्रथम बिडर को <https://sso.rajasthan.gov.in> पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा तथा यूजर आ ई-डी तथा पासवर्ड से लॉगिन करना होगा तथा Application tab पर क्लिक करके, URBAN SERVICES पर क्लिक करके, Citizen Services में E Auction की Services को Subscribe करना होगा।
2. तत्पश्चात My Profile tab में add new profile पर क्लिक करके, यदि आप व्यक्तिगत रूप से नीलामी में भाग लेना चाहते हैं तो Individual Profile पर क्लिक करना होगा अन्यथा यदि आप किसी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना चाहते हैं तो Non Individual पर क्लिक करना होगा। Profile Create करना तथा approved होना, न्यास की E-Auction में भागीदारी के लिए आवश्यक है।
3. Refund Account tab में refund के लिए bank account add करना आवश्यक है।
4. E Auction tab में upcoming/running auction में View Details पर क्लिक करके Plot की सम्पूर्ण डिटेल देखी जा सकती है तथा Participate button पर क्लिक करके Participation Fee तथा EMD का पेमेन्ट करके बिडर ई ऑक्शन में भाग ले सकेगा।

Note:- ई ऑक्शन की प्रक्रिया में प्रोफाइल अपडेट तथा रिफंड अकाउंट अपडेट में सामान्यतः 2 से 3 कार्य दिवस का समय लगता है। अतः समय रहते हुए यह कार्य कर लेवे, अंतिम तिथि का इंतजार न करे।

नगर विकास न्यास, कोटा

कोटा शहर में शहर की आन्तरिक एवं बाह्य क्षेत्र की कॉलोनियों के मध्य पशुपालकों द्वारा जगह जगह पर ग्रीन बेल्ट के अन्दर, पार्को में, खुले स्थानों पर पशुओं को बांधा जाता है अस्थायी रूप से वहां पर झोपडियां बनाकर आवास के रूप में उपयोग किया जा रहा है, इनको हटाने पर भी अन्य स्थान पर अतिक्रमण कर लेते हैं। उनके द्वारा सुबह-शाम पशुओं का दूध निकालकर उन्हें खुले में छोड़ दिया जाता है। जिसके कारण गत वर्षों में कई दुर्घटनाएँ हुई हैं परिणामतः कई व्यक्ति असमय ही काल के ग्रास हो गये हैं। इन पशुओं की वजह से शहर में गंदगी रहती है जिससे बीमारियाँ यथा मलेरिया, डेंगू आदि हर वर्ष फैलती है तथा शहर के सौन्दर्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं पशुपालकों के स्वयं का जीवन भी असुविधाजनक होता है।

अध्ययन से जानकारी मिली है कि पशुपालक आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं निर्धन होते हैं, उनकी स्थिति भूखण्ड क्रय करके उनमें पशुओं को पालने जैसी नहीं होती है। पशुओं को पालने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है तथा कोटा शहर में भूखण्डों की दर राज्य के अधिकांश अन्य शहरों की तुलना में अधिक है जिसके कारण पशुपालक अपना पशु का भूखण्ड क्रय करने में समर्थ नहीं होते हैं। अतः पशुपालकों को बेहतर पुनर्वास एवं कोटा शहर के पर्यावरण वातावरण को ठीक रखने एवं आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं से मुक्ति हेतु देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना तैयार की है।

राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार न्यास के एक विशेष दल को देश के विभिन्न शहरों में भेजा गया तथा विभिन्न स्तरों पर चर्चा एवं विश्लेषण के आधार पर पूनिया देवरी एवं धर्मपुरा में लगभग 106 हेक्टेयर भूमि पर देवनारायण नगर पशुपालक आवासीय योजना विशेष रियायती दर पर उपलब्ध कराने का न्यास के द्वारा प्रयास किया गया है। योजना में भूखण्डों पर पशुओं को बांधने के साथ-साथ पशुपालकों के आवास के लिए स्थान का प्रावधान रखा गया है। चूंकि पशुपालकों को पशु को पालने के लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है। इनके आवास के साथ पशुओं के लिए बाड़ा, चारा, स्टोर आदि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए योजना में 10.5 X 21=220.5 व.मी. तथा

10.5 X 27 = 283.50 च.मी. साईज के भूखण्ड रखे गये है। एकीकृत आवासों की संख्या लगभग 1229 होगी। इस योजना में एकीकृत आवासों हेतु भूखण्डों की दर इस योजना की आरक्षित दर के 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 1300/- प्रतिवर्गमीटर तथा आवास निर्माण, चारा स्टोर, शेड, फर्शी, गेट एवं चारदीवारी निर्माण की अनुमानित वास्तविक लागत को आधार लिया गया है। योजना में पशुओं के लिए पीने के पानी की सुविधा तालाब आदि तथा सुविधा क्षेत्रों का प्रावधान अन्य तकनीकी मापदण्डों एवं नियमों के अनुसार रखा गया है। पशुओं के अलग-अलग स्थानों पर होने के कारण उनके गोबर का वांछित उपयोग नहीं हो पाता है। प्रस्तावित देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना में एक स्थान पर ही होने से एक ही स्थान पर गोबर अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा जिसका उपयोग गैस उत्पादन, जैविक खाद विद्युत उत्पादन आदि में हो सकेगा।

इसी प्रकार शहर में विभिन्न स्थानों पर लगभग 20-25 डेयरियां /गौशालाएं संचालित है जो कि शहर के मध्य में स्थित है। इनसे भी शहरी आवागमन, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इनको भी शहर से बाहर शिफ्ट करना आवश्यक है। डेयरी संचालक भी कमजोर आय वर्ग से संबंध रखते है। इसलिए न्यास द्वारा डेयरी संचालकों को आरक्षित दर की 50 प्रतिशत रियायत पर भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे। इससे सम्पूर्ण पशुपालकों के साथ डेयरी संचालक भी शहर से बाहर जा सकेंगे।

न्यास द्वारा उक्त योजना में एकीकृत आवासों /डेयरी/पशुआहार व्यावसायिक एवं भूसा गोदाम हेतु भूखण्डों का आवंटन रियायती दरों पर किया जावेगा। योजना का विस्तृत विवरण आवेदन पुस्तिका में उपलब्ध है। पशुपालकों से अनुरोध है कि आवेदन पुस्तिका का अध्ययन कर आवेदन करें निर्धारित राशि समय पर जमा करावें।

शुभकामनाओं सहित।

राजेन्द्र सिंह कैन
सचिव, नगर विकास न्यास,
कोटा

उज्ज्वल राठौड़
अध्यक्ष नगर विकास न्यास एवं
जिला कलक्टर, कोटा

(2)

नगर विकास न्यास, कोटा

देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना

प्रस्तावना :-

कोटा शहर में कई पशुपालक राजकीय / नगर विकास न्यास/निजी भूमि, सुविधा क्षेत्र, पार्कों एवं नालों आदि में अतिक्रमण कर पशुपालन का कार्य कर रहे है। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण पशुपालक अपने लिए आवास एवं पशुओं के लिए सुव्यवस्थित बाड़े की व्यवस्था नहीं कर पाते है। इस कारण से मूलभूत सुविधाओं से वंचित अस्वच्छ वातावरण में रहने को मजबूर हो जाते है। इसके अतिरिक्त आवादी क्षेत्र में पशुपालन के कारण गोबर के ढेर एवं गंदे पानी के भराव से उत्पन्न दुर्गंध तथा मलिन वातावरण से आस पास निवास कर रहे लोगों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आवादी क्षेत्र तथा सड़कों पर पशुपालकों के पशुओं के विचरण से आये दिन दुर्घटनाएँ होती रहती है। इन दुर्घटनाओं में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है तथा कई लोग अपंग हो गये है।

पशुपालकों को मलिन वातावरण से मुक्ति दिलाने तथा पशुओं के सड़कों पर विचरण के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से निजात पाने हेतु माननीय नगरीय, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय द्वारा कोटा शहर में पशुपालकों के लिए एकीकृत आवासीय योजना विकसित करने की आवश्यकता महसूस की गई है।

माननीय मंत्री महोदय के निर्देशों की अनुपालना में नगर विकास न्यास द्वारा राजस्व ग्राम धरमपुरा में लगभग 106 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। चिन्हित भूमि पर पशुपालकों के लिए देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना का नियोजन किया गया है।

योजना स्थल :-

नगर विकास न्यास की देव नारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना राजस्व ग्राम धरमपुरा में न्यास भूमि पर विकसित की जा रही है। इस योजना की प्रमुख स्थानों से दूरी निम्नानुसार है :

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1. न्यास की रानपुर योजना से | - | 1.50 कि.मी. |
| 2. फोरलेन बाड़पास से | - | 6.50 कि.मी. |
| 3. बंधा धरमपुरा रोड़ पर पूनिया देवरी के पास स्थित है। | | |

(3)

देव नारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना की विशेषताएँ

- 10.50 X 21.00 मी. (35X 70 फुट Approx) के 851 एवं 10.50 X 27.00 मी. (35X90 फुट Approx) के 378 कुल वास्तविक संख्या 1229 भूखण्डों का नियोजन।
- प्रत्येक भूखण्ड में लगभग 400 वर्गफीट निर्मित क्षेत्रफल के आवास का निर्माण तथा बाउन्ड्रीवाल मय गेट का प्रावधान।
- प्रत्येक आवास में दो कमरे, रसोईघर, शौचालय एवं स्नानघर का प्रावधान।
- भूखण्ड के अग्र भाग पर भूखण्ड के माप के अनुसार 18 से 20 एवं 26 से 28 पशुओं की क्षमता का पशुवाड़ा।
- पशुओं के बाड़े (Cow Shade) हेतु टीन शेड, फर्शी, ठान एवं चारा स्टोर आदि के निर्माण का प्रावधान।
- भूखण्डों की राशि योजना की आरक्षित दर की 50 % रियायती दर पर।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आवास पर रु. 1.50 लाख का अनुदान स्वीकृत कराने का प्रावधान।
- चौड़ी सड़कें मय डिवाइडर एवं नाली निर्माण।
- सीवर लाईन एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण।
- पार्क एवं वृक्षारोपण।
- विद्यालय भवन का निर्माण।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण।
- पशु चिकित्सालय का निर्माण।
- पशु मेला स्थल मय रंगमंच का निर्माण।
- गोबर के निस्तारण हेतु वायो गैस संयंत्र का निर्माण।
- पशुओं के खुले विचरण हेतु लगभग 12.86 हेक्टर भूमि खुले रूप में रखी गई है।
- खुले क्षेत्र में दो तालाबों का निर्माण।

(4)

पशुपालक आवासों के आवंटन हेतु उपलब्ध भूखण्डों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	भूखण्ड माप 10.50 X 21.00 मी. (35X 70 फुट Approx)	भूखण्ड माप 10.50 X 27.00 मी. (35X 90 फुट Approx)
1.	भूखण्डों की संख्या	851	378
2.	भूखण्डों का क्षेत्रफल	220.50 वर्ग मी. (2372.58 वर्ग फुट)	283.50 वर्ग मी. (3050.46 वर्ग फुट)
3.	आवंटन दर (आरक्षित दर रुपये 2600/-के 50% पर)	1300/- प्रति वर्ग मीटर	1300/- प्रति वर्ग मीटर

पशुपालक आवासों की अनुमानित कीमत का विवरण

1.	आवास, चारा स्टोर मय बाड़े (Cow Shed) के निर्माण की लागत		
	कुल निर्माण लागत	12.13 लाख	13.81 लाख
2.	भूखण्ड की कीमत (आरक्षित दर के 50% पर)	2.87 लाख	3.69 लाख
	आवास की कुल कीमत	15.00 लाख	17.50 लाख

- नोट:-
1. आवेदक पशुओं की संख्या के आधार पर भूखण्ड की साईज का चयन कर आवेदन करें। यदि पशुओं की संख्या 20 से कम है तो छोटे भूखण्ड अर्थात् 10.50X 21=220.5 वर्ग मीटर तथा पशुओं की संख्या 20 से अधिक होने पर 10.50X 27.00=283.5 वर्ग मीटर के भूखण्ड हेतु आवेदन करें।
 2. सरकार से अनुदान/ब्याज की छूट हेतु सहायता राशि प्राप्त होने पर आवेदक के बकाया ऋण की राशि में समायोजित हो सकेगी।
 3. ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय रु 3.00 लाख से अधिक नहीं है वे ही अनुदान हेतु पात्र होंगे।
 4. प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अनुदान 1.50 लाख प्राप्त होने पर अनुदान राशि पशुपालकों की अन्तिम किरतों में समायोजन कर लिया जावेगा।

(5)

पशुपालन डेयरी, भूसा गोदाम एवं पशुआहार विक्रय भूखण्डों की अनुमानित कीमत का विवरण

क्र.स.	भूखण्ड का प्रकार	भूखण्ड की संख्या	भूखण्ड का माप	भूखण्ड की कीमत
1-	डेयरी भूखण्ड (आरक्षित दर रु. 2600/- का 50 प्रतिशत)	20	30x50m = 1500व.मी	19,50,000/-
		37	25x40m = 1000व.मी	13,00,000/-
		09	17.50x30m = 525व.मी	6,82,500/-
2-	भूसा गोदाम भूखण्ड (आरक्षित दर रु. 2600/- का 50 प्रतिशत)	11	30x60m = 1800व.मी	23,40,000/-
		22	25x40m = 1000व.मी	13,00,000/-
3-	पशु आहार भूखण्ड (आरक्षित दर रु. 2600/-)	34	4.5x6.00 = 27व.मी	70,200/-

देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना में कुल 1362 आवास/भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से आवंटन हेतु निर्धारित किये हैं। उक्त संख्या मांग एवं उपलब्धता के आधार पर घटाई-बढ़ाई जा सकती है।

(A) आवास मय पशु बाड़ा के आवेदन हेतु पात्रता:-

1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक को वयस्क होना चाहिए अर्थात् आवेदन-पत्र जमा कराने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
3. आवेदक कोटा शहर में पशुपालन का कार्य कर रहा हो तथा नगर विकास न्यास द्वारा पशु पालकों के लिए किये गये सर्वे सूची में आवेदक का नाम दर्ज होना चाहिए। आवेदको द्वारा आवेदन से पूर्व प्रस्तुत पशुपालन कार्य करने का स्वघोषणा पत्र भी पुनः प्रस्तुत करना होगा। यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी अथवा पशुपालन की सूचना मिथ्या पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं समस्त जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।
4. आवेदको द्वारा आवेदन से पूर्व पशुपालन कार्य करने का स्व घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी अथवा पशुपालन की सूचना मिथ्या पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं समस्त जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. आवेदक की वार्षिक आय 3.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

आवास मय पशु बाड़ा की विशेष शर्तें:

1. आवासों का निर्माण पूर्ण होने की सूचना न्यास द्वारा समाचार पत्रों एवं व्यक्तिगत पत्राचार द्वारा दी जायेगी। निर्माण पूर्ण होने के एक माह की अवधि में कोटा शहर के मास्टर प्लान क्षेत्र में स्थित/संचालित डेयरी एवं पशुपालकों को पशुओं सहित शिफ्ट होना आवश्यक होगा, अन्यथा समस्त राशि जब्त कर ली जावेगी। उक्त अवधि में शिफ्ट नहीं करने पर प्रतिमाह 1500/- जुर्माना देय होगा।
2. कब्जा प्राप्त करने के साथ ही आवंटी द्वारा एकीकृत आवास में रिहायशी निवास एवं पशुपालन प्रारम्भ करना होगा। अन्यथा समस्त राशि जब्त कर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
3. नगर विकास न्यास द्वारा पशुओं से प्राप्त गोबर के निस्तारण हेतु भारी लागत से "बायोगैस संयंत्र" का निर्माण करवाया जा रहा है। अतः पशुपालक को पशुओं से प्राप्त सम्पूर्ण गोबर की मात्रा बायोगैस संयंत्र हेतु अनिवार्यतः देनी होगी। आवंटियों द्वारा नियमति रूप से प्रतिदिन गोबर उपलब्ध कराना होगा एवं वहां इकट्ठा नहीं करेगा जिससे कॉलोनी में गंदगी नहीं फैले एवं प्रदूषित नहीं हो अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी व समस्त जमा राशि जब्त हो जावेगी। यदि बाद में आवंटी अथवा उसके परिवार का सदस्य अलग अतिक्रमण करता हुआ पाया जाता है तो आवंटन निरस्त हो जायेगा एवं एवं समस्त राशि जब्त हो जायेगी।
4. आवंटी को पुराने स्थान पर किये हुए पशुपालन को हटाकर पशुओं को आवंटित बाड़े में स्थानान्तरित करना होगा। पुराने स्थान पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा एवं पशुपालन करते पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
5. आवंटी द्वारा न्यास की अनुमति के बिना आवास की संरचना में किसी भी प्रकार का फेरबदल/निर्माण नहीं किया जा सकेगा। फेरबदल/निर्माण की सूचना पाये जाने पर आवास निरस्त कर दिया जायेगा।

(B) डेयरी हेतु भूखण्ड आवंटन के लिए पात्रताएँ:-

1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक को वयस्क होना चाहिए अर्थात् आवेदन-पत्र जमा कराने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
3. डेयरी शहर के मास्टर प्लान क्षेत्र में संचालित हो।
4. आवेदक कोटा शहर में डेयरी संचालन का कार्य कर रहा हो तथा नगर विकास न्यास द्वारा डेयरी संचालको के लिए किये गये सर्वे सूची में आवेदक का नाम दर्ज होना चाहिए। आवेदको द्वारा आवेदन से पूर्व डेयरी संचालन का कार्य करने का स्व:घोषणा पत्र भी पुनः प्रस्तुत करना होगा। यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी डेयरी संचालको की सूचना मिथ्या पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं समस्त जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।

डेयरी हेतु भूखण्ड के आवंटन की विशेष शर्तें:-

1. आवेदक को एक माह में एकमुश्त राशि जमा करानी होगी।
2. गोबर नियमित रूप से बायोगैस/गोबरगैस प्लान्ट को देना होगा।
3. आवंटन पत्र/कब्जा पत्र देने की दिनांक से 1 माह में निर्माण प्रारम्भ करके 9 माह में निर्माण पूर्ण करके डेयरी को शिफ्ट करना होगा।
4. एक माह में निर्माण प्रारम्भ नहीं करने पर विशेष स्थिति में अगले 1 माह हेतु नगर विकास न्यास में आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर निर्माण कार्य करने की छूट दी जा सकेगी। परन्तु निर्माण आवंटन/कब्जा देने की तिथि से 9 माह में ही पूर्ण करके डेयरी का संचालन करना होगा। इसमें किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी। दो माह पश्चात स्वतः ही आवंटन निरस्त होगा एवं समस्त राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. आवेदक कोटा शहर में डेयरी संचालन का कार्य कर रहा हो तथा नगर विकास न्यास द्वारा डेयरी संचालन के लिए किये गये सर्वे सूची में आवेदक का नाम दर्ज होना चाहिए। आवेदको द्वारा आवेदन से पूर्व

(8)

प्रस्तुत डेयरी संचालन कार्य करने का स्वघोषणा पत्र भी पुनः प्रस्तुत करना होगा। यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी अथवा डेयरी संचालन की सूचना मिथ्या पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं समस्त जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।

6. डेयरी नये स्थान पर संचालित करने पर पूर्व स्थान पर डेयरी संचालित नहीं होगी। उल्लंघन करने पर समस्त राशि जब्त करके आवंटन निरस्त करके कब्जा न्यास संभाल लेगा।
 7. कुल भूखण्ड 66 है। सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर वर्तमान में कोटा शहर की सीमाओं के संचालित डेयरी संचालको को भूखण्ड लॉटरी के आधार पर आवंटन किया जावेगा। शेष अन्य आवेदकों को लॉटरी के आधार पर नियमान्तर्गत आवंटन किया जावेगा।
- नोट:-न्यास द्वारा डेयरी हेतु विशेष शर्तें लगाई गई हैं। सभी शर्तें पर्यावरण स्वच्छता बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए सार्वजनिक हित में लगाई गई हैं इसलिए आरक्षित दर की 50 प्रतिशत रियायती दर पर आवंटन किया जायेगा।

(C) भूसा गोदाम हेतु भूखण्ड आवंटन के लिए पात्रता:-

1. राजस्थान का निवासी हो।
2. आवेदक को वयस्क होना चाहिए अर्थात् आवेदन-पत्र जमा कराने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
3. भूसा व्यवसाय का तीन वर्ष का अनुभव एवं स्वयं का गोदाम होना चाहिए।
4. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ तीन वर्ष का आईटीआर संलग्न करना होगा।

भूसा गोदाम हेतु भूखण्ड आवंटन के लिए विशेष शर्तें:-

1. कब्जा पत्र देने की दिनांक से दो माह में निर्माण प्रारम्भ करके एक वर्ष में निर्माण पूर्ण करके भूसा पंढारण का कार्य प्रारम्भ करना होगा।
2. केवल भूसा का व्यवसाय ही करना होगा। अन्य व्यवसाय करने पर आवंटन निरस्त करते हुए नगर विकास न्यास द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया जावेगा।
3. दो माह में निर्माण प्रारम्भ नहीं करने पर विशेष स्थिति में अगले दो माह हेतु नगर विकास न्यास में आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर छूट दी जा सकेगी। परन्तु निर्माण आवंटन/कब्जा देने की तिथि से एक वर्ष में

(9)

ही पूर्ण करके भूसा गंडारण एवं व्यवसाय करना होगा। इसमें किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी।

- आवेदक कोटा शहर में भूसा का व्यवसाय का कार्य कर रहा हो आवेदको द्वारा आवेदन से पूर्व भूसा व्यवसाय का कार्य करने का स्वघोषणा पत्र भी पुनः प्रस्तुत करना होगा। यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी अथवा भूसा व्यवसाय की सूचना मिथ्या पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं समस्त जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।

(D) पशुआहार विक्रय हेतु भूखण्ड आवंटन के लिए पात्रताएँ:-

- राजस्थान का निवासी हो।
- आवेदक को वयस्क होना चाहिए अर्थात् आवेदन-पत्र जमा कराने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
- पशुआहार विक्रय का व्यवसाय कार्य किया हो इस हेतु अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

पशुआहार विक्रय व्यवसायियों के आवेदन हेतु विशेष शर्तें:-

- आवेदक कोटा शहर में पशुआहार व्यवसाय का कार्य कर रहा हो। आवेदको द्वारा आवेदन से पूर्व पशुआहार व्यवसाय का कार्य करने का स्वघोषणा पत्र भी पुनः प्रस्तुत करना होगा। यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी पशुआहार व्यवसायी की सूचना मिथ्या पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं समस्त जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।
- आवंटन पत्र/कब्जा पत्र देने की दिनांक से दो माह में निर्माण प्रारम्भ करके एक वर्ष में निर्माण पूर्ण करके पशुआहार विक्रय हेतु व्यवसाय प्रारम्भ करना होगा।
- दो माह में निर्माण प्रारम्भ नहीं करने पर विशेष स्थिति में अगले दो माह हेतु नगर विकास न्यास में आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर निर्माण कार्य की छूट दी जा सकेगी। परन्तु निर्माण आवंटन/कब्जा देने की तिथि से एक वर्ष में ही पूर्ण करके पशुआहार विक्रय व्यवसाय का संचालन करना होगा। इसमें किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी।

पंजीकरण राशि

आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रकार से पंजीकरण राशि सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा के नाम से कोटा शहर में देय डी. डी. / पे ऑर्डर के रूप में जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	एकीकृत आवास/भूसा गोदाम/डेयरी/पशुआहार भूखण्ड	भूखण्डों की संख्या	एकीकृत माप	पंजीकरण राशि
1	एकीकृत आवास	851	10.50 X 21.00मीटर (35 X 70फीट Approx)	30,000/-
2	एकीकृत आवास	378	10.50 X 27.00मीटर (35 X 90फीट Approx)	35,000/-
3	भूसा गोदाम	11	30.00 X 60.00 मीटर (99 X 197 फीट Approx)	2,00,000/-
		22	25.00 X 40.00 मीटर (82 X 132 फीट Approx)	1,20,000/-
4	डेयरी	20	30.00 X 50.00 (99 X 164 फीट Approx)	1,90,000/-
		37	25.00 X 40.00 मीटर (82 X 132 फीट Approx)	1,30,000/-
		09	17.50 X 30.00 मीटर (58 X 99 फीट Approx)	60,000/-
5	पशुआहार	34	04.50 X 6.00 मीटर (15 X 20 फीट Approx)	20,000/-
	योग	1362		

पंजीकरण राशि को आवास की लागत में समायोजित कर दिया जावेगा। पंजीकरण राशि पर ब्याज देय नहीं होगा। असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटायी जायेगी।

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :-

1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदक अपने नाम से आवेदन पत्र अन्तिम पृष्ठ पर दिये गए फार्म एवम् चालान भरकर जमा करा सकता है।
2. देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना के अन्तर्गत आवास मय पशु बाड़ा, भूसा गोदाम, पशुआहार विक्रय हेतु डेयरी हेतु भूखण्ड आवंटन के लिए इस पुस्तिका में पृथक-पृथक आवेदन पत्र एवं चालान फार्म उपलब्ध है। एक व्यक्ति एक श्रेणी एवं एक साइज के लिए ही आवेदन कर सकता है।
चूंकि इस आवेदन पुस्तिका में संलग्न सभी श्रेणियों के आवेदन पत्रों एवं चालान फार्मों के क्रमांक एक समान ही हैं। अतः आवेदित श्रेणी के आवेदन पत्र एवं चालान के अतिरिक्त अन्य आवेदन फार्म एवं चालान फार्म स्वतः निरस्त हैं, उनका अन्य व्यक्ति के द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है।
3. आवेदन पत्र में कृपया शुद्ध हिन्दी में अपना पूर्ण नाम, पता स्पष्ट मोटे अक्षरों में लिखें तथा अपने पिता/पति का नाम, पत्र व्यवहार का पता, मोहल्ला, गली, बाजार, मकान नं० सहित शहर/जिले का नाम, आधार नं०, पिनकोड नं० सहित स्वच्छ लेख में लिखें। प्रत्येक कटिंग पर हस्ताक्षर करें, आवेदन पत्र में टेलीफोन नं०/मोबाइल नं० यदि हो तो लिखें तथा निर्धारित कॉलम में आवेदक के नाम का बैंक खाता संख्या तथा बैंक का नाम, IFSC कोड लिखें।
4. आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साइज का स्व प्रमाणित फोटो अच्छी प्रकार से चिपकाए।
5. आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कराने के पश्चात् पते में परिवर्तन के अलावा कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
6. आवेदक आवेदन पत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति करें, जो कॉलम लागू नहीं होता हो उसे स्पष्ट रूप से X (नहीं) अंकित करें।
7. आवेदन पत्र केवल आवेदन पुस्तिका में वर्णित बैंक के माध्यम से जमा किये जाएंगे।
8. सभी दस्तावेज की सुनिश्चितता स्वयं के स्तर पर करें।
9. संयुक्त नाम से आवेदन पर दोनों आवेदकों के फोटो आवश्यक है तथा प्रपत्रों पर दोनों के क्रमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक है। प्रथम आवेदक का बैंक का नाम एवं खाता संख्या आवेदन पत्र में दें।

(12)

देवनारायण नगर एकीकृत आवास योजना में आवास मय पशु बाड़े की कीमत

विवरण	समय/अवधि	साइज	साइज
		10.50×21=220.50 वर्ग० मी० (कुल कीमत 15.00 लाख)	10.50×27=283.50 वर्ग० मी० (कुल कीमत 17.50 लाख)
पंजीकरण राशि	आवेदन के पत्र में साथ	30,000	35,000
प्रथम किस्त	प्रोवीजनल आवंटन के 1 माह की अवधि में	30,000	35,000
द्वितीय किस्त	प्रोवीजनल आवंटन के 3 माह की अवधि में	30,000	35,000
तृतीय किस्त	प्रोवीजनल आवंटन के 5 माह की अवधि में	30,000	35,000
बैंक ऋण I		4,00,000	5,00,000
चतुर्थ किस्त	प्रोवीजनल आवंटन के 7 माह की अवधि में	30,000	35,000
पंचम किस्त	प्रोवीजनल आवंटन के 9 माह की अवधि में	30,000	35,000
छठी किस्त	प्रोवीजनल आवंटन के 11 माह की अवधि में	30,000	35,000
बैंक ऋण II		4,00,000	5,00,000
सातवीं किस्त	प्रोवीजनल आवंटन के एक वर्ष एक माह	30,000	35,000
आठवीं किस्त	प्रोवीजनल आवंटन के 1 वर्ष 3 माह	30,000	35,000
नववीं किस्त	प्रोवीजनल आवंटन के एक वर्ष 5 माह	30,000	35,000
बैंक ऋण III		4,00,000	4,00,000
	योग	15,00,000/-	17,50,000/-

नोट :- सरकार से अनुदान/ब्याज की छूट हेतु सहायता राशि प्राप्त होने पर आवेदक के बकाया ऋण की राशि में समायोजित हो सकेगी।

(13)

आवेदन कैसे करें

1. इस योजना के अन्तर्गत आवेदन कर रहे आवेदक को निर्धारित पंजीकरण राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/RTGS/नकद चालान द्वारा जमा कराना होगा।
2. पंजीकरण राशि सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा के नाम से कोटा में देय, किसी भी बैंक के सिंगल डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर द्वारा आवेदन पुस्तिका में उल्लिखित बैंक की किसी भी नोडल शाखा में जमा करनी होगी
3. आवश्यक भुगतान के साथ सभी तरह से विधिवत पूरा आवेदन-पत्र आवेदन पुस्तिका में उल्लिखित बैंक द्वारा आवेदन-पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व बैंकिंग समय के समापन से पूर्व दिए जाएंगे। यूआईटी समापन समय के पश्चात, किसी भी कारण से आवेदन पत्र की प्राप्ति में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
4. आवेदन पत्र योजना बंद होने की तिथि के बाद स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि भुगतान की तिथि योजना के बंद होने के बाद की है तो ऐसे आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जायेगा और इसका पूर्ण जिम्मेदार आवेदक होगा। लॉटरी के ड्रा में ऐसे आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. किसी भी सर्शर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। दस्तावेज के अभाव में तथा अपूर्ण आवेदन पत्रों को आवेदक को बिना कोई कारण बताये सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।
6. पंजीकरण राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा के पक्ष में देय होना चाहिए

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 11-09-2020 है।

आवंटन की प्रक्रिया

- (1) एकीकृत आवासों/भूखण्डों का आवंटन लॉटरी पद्धति के अनुसार राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तरण) नियम 1974 के अन्तर्गत 99 वर्षीय पट्टेदारी लीज होल्ड के आधार पर किया जावेगा। लॉटरी जन साधारण के सामने निकाली जावेगी जिसकी तिथि की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में दी जावेगी।
- (2) आवेदक कोटा शहर में पशुपालन का कार्य कर रहा हो तथा नगर विकास न्यास द्वारा पशु पालकों के लिए किये गये सर्व सूची में आवेदक का नाम दर्ज होना चाहिए। आवेदकों द्वारा आवेदन से पूर्व प्रस्तुत पशुपालन कार्य करने का स्वघोषणा पत्र भी पुनः प्रस्तुत करना होगा। यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी अथवा पशुपालन की सूचना मिथ्या पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं समस्त जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।
- (3) सफल आवंटियों को मांग एवं आवंटन पत्र कार्यालय/उनके व्यावसायिक स्थल पर दिये जायेंगे। सफल आवंटियों की सूची न्यास की वेबसाइट <http://urban.rajasthan.gov.in/aikotia> तथा न्यास के नोटिस बोर्ड पर चर्या की जावेगी।
- (4) आवास का आवंटन होने के उपरान्त आवंटनी के वर्तमान में पशुपालक होने का सर्वे एवं भौतिक सत्यापन करवाया जायेगा। सत्यापन नहीं होने की स्थिति में एकीकृत आवास आवंटन निरस्त कर समस्त जमा राशि जब्त करली जायेगी।

मांगी गई राशि के भुगतान की पद्धति:-

भौतिक सत्यापन के पश्चात समस्त आवेदकों को अस्थायी/प्रोवीजनल आवंटन जारी किया जावेगा। देय राशि का भुगतान उनको अस्थायी/प्रोवीजनल आवंटन पत्र में उल्लिखित अवधि के पूर्व करना होगा। निर्धारित तिथि पर यथा किश्त का भुगतान नहीं होने पर अगली किश्त तक मय ब्याज भुगतान कर सकेंगे। समय पर भुगतान नहीं होने पर अस्थाई/प्रोवीजनल आवंटन निरस्त माना जावेगा एवं समस्त जमा राशि जब्त हो जावेगी जिसके लिए आवंटनी स्वयं जिम्मेदार होगा। ऋण हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया / इन्डसट्रियल बैंक/आईसीआईसीआई बैंक की कोटा में स्थित किसी भी शाखा में समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करना होगा।

डेयरी संचालकों, भूसा गोदामों एवं पशु-आहार विक्रय हेतु आवंटित भूखण्डों की राशि के भुगतान की पद्धति:-

• लॉटरी में सफल आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किए जायेंगे। भूखण्डों की राशि आवंटन पत्र के 30 दिन एक मुश्त में जमा करानी होगी। अन्यथा आवंटन निरस्त करते हुए जमा पंजीयन राशि जब्त कर ली जावेगी। आवेदन पत्र के साथ जमा कराई गई पंजीयन राशि समायोजित कर ली जावेगी। शेष भुगतान योग्य बैंक/डीडी/पे-ऑर्डर से आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक में देय तिथि तक जमा कराई जा सकेगी। निर्धारित तिथि तक न्यास खाते में राशि जमा कराने का दायित्व आवंटी का होगा। भूखण्ड की राशि के साथ साईट प्लान के रू 200/- अतिरिक्त जमा कराने होंगे। दिनों व ब्याज की गणना आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से की जावेगी।

असफल आवेदकों की पंजीयन राशि की वापसी:-

1. नगर विकास न्यास को दी गई पंजीकरण राशि आवेदक पुस्तिका में उल्लेखित आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण राशि डी.डी./RTGS/या नकद चालान के माध्यम से जमा करवाना होगा।
2. जमा राशि वापस प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। एकाउंट नम्बर एवं बैंक के विवरण बैंक पर चिन्हित होंगे। इसलिए आवेदक को ध्यानपूर्वक ये विवरण आवेदन पत्र में भरने होंगे।

भूखण्डों की लीज डीड (रजिस्ट्री)

आवंटी द्वारा भूखण्ड की संपूर्ण बकाया राशि, लीज आदि जमा करवा कर पट्टा विलेख प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा, तदुपरान्त न्यास द्वारा पट्टा विलेख (लीज डीड) जारी किया जावेगा। इस पट्टा विलेख का पंजीयन, पंजीयक मुद्रांक कार्यालय, में आवंटी द्वारा कराया जावेगा। पट्टा विलेख का समस्त व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। सफल आवेदकों द्वारा भूखण्ड पर ऋण चाहने पर एन.ओ.सी. हेतु आवेदन पत्र मय बैंक का पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर न्यास द्वारा अनापति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी) जारी किया जा सकेगा। समय पर राशि जमा कराने की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।

(16)

आवास/भूखण्ड पर नगरीय कर (लीज)

1. आवास/भूखण्ड पर नगरीय कर नियमानुसार जमा करवाना होगा।

:- भूखण्ड पर निर्माण कार्य :-

पशुपालकों को निर्मित आवास व शेड बनाकर दिए जायेंगे, डेयरी, गोदाम व पशुआहार विक्रय हेतु आवंटित भूखण्डों पर निर्धारित अवधि एक वर्ष में निर्माण करके व्यवसाय प्रारम्भ करना होगा। अन्यथा भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए जमा राशि जब्त कर ली जावेगी तथा आवंटी को भविष्य में रियायती दर पर भूखण्ड नहीं दिया जावेगा। आवंटी द्वारा आवेदन करने पर विशेष परिस्थितियों में न्यास अध्यक्ष व न्यास मण्डल निर्धारित राशि व ब्याज तथा शास्ति लेकर निरस्त भूखण्ड को नियमित करके भूखण्ड पर निर्माण के लिए अवधि 6 माह के लिए आरक्षित दर के 50 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में जमा कराते हुए बढ़ा सकते हैं। भूखण्ड पर निर्माण के लिए न्यास से निर्माण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा प्रस्तावित निर्माण का नक्शा स्वीकृति कराना आवश्यक होगा।

एकीकृत आवास/भूखण्ड का कब्जा:-

सम्पूर्ण राशि जमा होने के उपरान्त एकीकृत आवास का कब्जा प्राप्त कर एक माह की अवधि में आवंटित भूखण्ड/आवास में रिहायशी निवास एवं पशुपालन प्रारम्भ करना होगा। कब्जे के 12 माह के अन्दर लीज डीड पंजीयन प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर न्यास द्वारा रु. 1000/- प्रति माह तक भूखण्ड की साईज के अनुसार शास्ति (पेनल्टी) लगाई जावेगी तथा पशुपालन कॉलोनी में शिफ्ट नहीं करने पर रु. 1500/- प्रति माह शास्ति लगाई जावेगी। कब्जा पत्र कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौके पर दिया जावेगा।

एकीकृत आवास/भूखण्ड का हस्तान्तरण

एकीकृत आवासों/भूखण्डों के आवंटन में भूखण्डों की दर इस योजना की आरक्षित दर के 50 प्रतिशत के आधार पर मानी गई एवं इन आवासों पर केन्द्र सरकार से अनुदान/ब्याज में छूट हेतु सहायता योग्य है। यह एक पुनर्वास योजना है जिसमें विक्रय निषेध है अतः उक्त भूखण्डों/आवासों का बेचान/हस्तान्तरण प्रतिबन्धित है। अवैध बेचान/हस्तान्तरण पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर आवास/भूखण्ड न्यास द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जावेगा तथा सम्पूर्ण राशि जब्त कर लीजावेगी।

(17)

अन्य:-

1. एकीकृत आवास/भूखण्डों का पुनर्गठन/उपविभाजन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा।
2. राज्य सरकार एवं न्यास द्वारा समय समय पर जारी किए नियम/संशोधन आवंटी पर लागू होंगे।
3. समस्त पत्राचार एवं ड्राफ्ट **सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा** के नाम से होगा।
4. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र कोटा शहर होगा।
5. आवंटी पर राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 के समस्त प्रावधान तथा न्यास निर्णय समय समय पर संशोधन के साथ लागू होंगे।
6. एकीकृत आवासों का माप/संख्या में कम/ज्यादा की जा सकती है। विषम परिस्थितियों में आवंटित एकीकृत आवास का कब्जा नहीं दिए जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा जमा राशि बिना ब्याज के लौटाई जा सकेगी तथा मौके की स्थिति के अनुसार एकीकृत आवास का क्षेत्रफल कम या अधिक हो सकता है जो कि आवंटी को स्वीकार करना होगा।
7. यदि किसी आवेदक द्वारा गलत सूचना देकर तथा मिथ्या तथ्यों के आधार पर न्यास को धोखे में रखते हुए एकीकृत आवास/भूखण्ड आवंटन का प्रयास किया जाता है अथवा आवंटन करा लिया है व आवेदन पुस्तिका में अंकित शर्तों का पालन नहीं किया तो ऐसे आवेदकों की जमा राशि व एकीकृत आवास/भूखण्ड को जब्त कर लिया जावेगा तथा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
8. भूखण्ड अथवा उस पर बने आवास पर सक्षम अधिकारी द्वारा लागू किये समस्त कर शुल्क आदि की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।

9. एकीकृत आवास/भूखण्ड आवंटन संबंधी समस्त प्रक्रिया संबंधी किसी भी बिन्दु पर विवाद होने पर अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, कोटा का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा।
10. एकीकृत आवास/भूखण्ड के साथ अतिरिक्त जमीन की राशि नियमानुसार न्यास निर्णयानुसार आवंटी को अतिरिक्त जमा करानी होगी तथा क्षेत्रफल कम होने पर वास्तविक माप की राशि ही आवंटी से ली जावेगी।
11. लॉटरी के संबंध में कोई भी जानकारी/सूचना मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा से प्राप्त की जा सकती है।
12. पशुपालकों की शिफ्टिंग, डेयरी, गोदाम निर्माण एवं पशुआहार दुकान के निर्माण के सम्बन्ध में विशेष स्थिति में परिस्थितियों के अनुसार न्यास मण्डल छूट दे सकता है।

देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना
स्व घोषणा पत्र
(आवास मय पशु बाड़ा हेतु आवेदकों के लिए)

स्व प्रमाणित
फोटो

मैंपुत्र/पत्नि/पुत्रीआयु.....
निवासी

-घोषणा करता/करती हूँ, कि
- (1) यह कि मैं राजस्थान का/ की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।
 - (2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मेरे द्वारा आवंटन पुस्तिका में दिये गये समस्त नियमों की पालना की जायेगी।
 - (3) मेरे द्वारा पशुपालन का कार्य किया जा रहा है। मैं इस समय कोटा शहर में.....बायीं तरफ क्षेत्र में पशुपालन कर रहा हूँ। मेरे पड़ोस में दायीं तरफ.....द्वारा पशुपालन का कार्य किया जा रहा है। व सामने.....
 - (4) मेरे द्वारा पशुपालन से प्राप्त समस्त गोबर बायोगैस संयंत्र को दिया जायेगा।
 - (5) मैं आवास का कब्जा प्राप्त करने के एक माह के भीतर आवंटित बाड़े में पशुपालन प्रारम्भ कर दूंगा। साथ ही एक सप्ताह में पशुओं को आवंटित देवनारायण योजना में शिफ्ट कर दूंगा।
 - (6) वर्तमान में मैं.....पर अतिक्रमण कर/स्वयं की भूमि पर पशुपालन कर रहा हूँ जिसे आवास/मुखण्ड के आवंटन के उपरान्त बन्द कर दूंगा।
 - (7) पशुपालन हेतु इच्छित कटेगरी का एकीकृत आवास उपलब्ध नहीं होने पर वह अन्य कटेगरी / बड़ी / छोटी साईज लेने हेतु सहमत हूँ।
 - (8) मेरी वार्षिक आय 3.00 लाख रुपये की सीमा में है।
 - (9) मैं आवेदन पुस्तिका में वर्णित अनुसार एकीकृत आवास की राशि जमा करवाने को सहमत हूँ, इसके अभाव में न्यास द्वारा आवंटन निरस्त करते हुए जमा राशि जब करने में तथा अन्य व्यक्ति को आवंटित करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना नहीं करने पर न्यास को आवंटन निरस्त कर सम्पूर्ण जमा राशि जब करने का पूर्ण अधिकार होगा।

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैंपुत्र/पत्नि/पुत्री श्रीघोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

(20)

देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना
स्व घोषणा पत्र
(पशु आहार विक्रय आवेदकों के लिए)

स्व प्रमाणित
फोटो

मैंपुत्र/पत्नि/पुत्रीआयु.....
निवासी

-घोषणा करता/करती हूँ, कि
- (1) यह कि मैं राजस्थान का/ की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।
 - (2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मेरे द्वारा आवंटन पुस्तिका में दिये गये समस्त नियमों की पालना की जायेगी।
 - (3) मैं भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के दो माह के भीतर निर्माण प्रारम्भ करके एक वर्ष में निर्माण पूर्ण करते हुए आवंटित भूखण्ड में पशुआहार विक्रय प्रारम्भ कर दूंगा।
 - (4) पशुआहार विक्रय हेतु इच्छित कटेगरी का भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने पर वह अन्य कटेगरी/बड़ी / छोटी साईज लेने हेतु सहमत हूँ।
 - (5) मैं आवेदन पुस्तिका में वर्णित अनुसार भूखण्ड की राशि जमा करवाने को सहमत हूँ, इसके अभाव में न्यास द्वारा आवंटन निरस्त करते हुए जमा राशि जब करने में तथा अन्य व्यक्ति को आवंटित करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना नहीं करने पर न्यास को आवंटन निरस्त कर सम्पूर्ण जमा राशि जब करने का पूर्ण अधिकार होगा।

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैंपुत्र/पत्नि/पुत्री श्रीघोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

(21)

देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना

स्व घोषणा पत्र
(डेयरी हेतु भूखण्ड आवेदकों के लिए)

स्व प्रमाणित
फोटो

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री आयु

निवासी

घोषणा करता/करती हूँ, कि

- (1) यह कि मैं राजस्थान का/ की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।
- (2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मेरे द्वारा आवंटन पुस्तिका में दिये गये समस्त नियमों की पालना की जायेगी।
- (3) मैं भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के दो माह के भीतर आवंटित भूखण्ड में डेयरी निर्माण प्रारम्भ करके एक वर्ष में निर्माण पूर्ण करके डेयरी संचालन कर दूंगा। वर्तमान स्थान पर डेयरी संचालित है उसे बन्द कर दूंगा अन्यथा मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त कर दिया जावे।
- (4) डेयरी व्यवसाय हेतु इच्छित केटेगरी का भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने पर वह अन्य केटेगरी/बड़ी / छोटी साईज लेने हेतु सहमत हूँ।
- (5) मैं आवेदन पुस्तिका में वर्णित अनुसार भूखण्ड की राशि जमा करवाने को सहमत हूँ, इसके अभाव में न्यास द्वारा आवंटन निरस्त करते हुए जमा राशि जब्त करने में तथा अन्य व्यक्ति को आवंटित करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना नहीं करने पर न्यास को आवंटन निरस्त कर सम्पूर्ण जमा राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री घोषणा

करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

(22)

देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना

स्व घोषणा पत्र
(भूसा गोदान हेतु भूखण्ड आवेदकों के लिए)

स्व प्रमाणित
फोटो

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री आयु

निवासी

घोषणा करता/करती हूँ, कि

- (1) यह कि मैं राजस्थान का/ की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।
- (2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मेरे द्वारा आवंटन पुस्तिका में दिये गये समस्त नियमों की पालना की जायेगी।
- (3) मैं गत तीन वर्षों से.....(स्थान) पर भूसा व्यवसाय कर रहा हूँ।.....(स्थान) पर मेरा भूसा गोदान है। जिसके सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है।
- (4) मैं भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के दो माह के भीतर आवंटित भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ कर दूंगा तथा एक वर्ष में निर्माण करके भूसा व्यवसाय प्रारम्भ कर दूंगा अन्यथा न्यास नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है।
- (5) भूसा व्यवसाय हेतु इच्छित केटेगरी का भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने पर वह अन्य केटेगरी/बड़ी / छोटी साईज लेने हेतु सहमत हूँ।
- (6) मैं आवेदन पुस्तिका में वर्णित अनुसार भूखण्ड की राशि जमा करवाने को सहमत हूँ, इसके अभाव में न्यास द्वारा आवंटन निरस्त करते हुए जमा राशि जब्त करने में तथा अन्य व्यक्ति को आवंटित करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना नहीं करने पर न्यास को आवंटन निरस्त कर सम्पूर्ण जमा राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री घोषणा

करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

(23)



नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक

आवेदन करने की अन्तिम तिथि :- 11/09/2020

आवासमय पशु बाड़ा के लिए

आवेदन पत्र

नवीनतम
स्वप्रमाणित
फोटो

देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना

1. आवेदक/संयुक्त आवेदक का नाम :
2. आवेदक के पिता/पति का नाम :
3. पशुपालन का वर्तमान स्थान :
4. आवेदक का स्थाई पता.....
.....मोबाईल/टेलिफोन नं.
5. बैंक खाता संख्या..... बैंक का नामIFSC Code.....
6. आधार कार्ड नं. स्वयं पति/पत्नी
7. आवेदक के पशुओं की संख्या
8. मेरे पड़ोस में पशुपालकों के पशुपालन का कार्य किया जा रहा है। (फोटो लगावे) में इस समय कोटा शहर में.....क्षेत्र में पशुपालन कर रहा हूँ। मेरे पड़ोस में दायीं तरफ.....बायीं तरफ.....
व सामने.....निम्न कब्जे.....पशुपालन कर रह है।
9. आवेदित एकीकृत आवास का विवरण श्रेणी कृपया सही (✓) का चिन्ह अंकित करें।
10.50 X 21.00 मी. 10.50 X 27.00 मी.
(35X 70 फुट) (35X 90 फुट)
- 10 पंजीयन राशि जमा का विवरण :-
(1) चालान नं. (2) दिनांक
(3) राशि (4) डी डी नं./RTGS/नकद चालान.....
11. आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र कृपया सही (✓) का चिन्ह अंकित करें। :-
D.D. Cancelled Cheque CTS 2010 आय प्रमाण पत्र पति एवं पत्नी का आधार
 /पास बुक की प्रति
- निवास प्रमाण पत्र स्व घोषणा पत्र
12. मैंने आवेदन पत्र विवरणिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा समझ लिया है, मुझे वर्णित शर्तें स्वीकार है।
13. मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया भूखण्ड/आवास का आवंटन किसी भी समय निरस्त कर न्यास द्वारा राशि जब्त की जा सकेगी व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
14. समय - समय पर राज्य सरकार/नगर विकास न्यास एवं न्यास मण्डल में लिये गये निर्णयों को मानने के लिए मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।
15. आवेदन हेतु प्रस्तुत सभी सूचनाएँ सही व प्रमाणित हैं।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक/संयुक्त के हस्ताक्षर

प्रार्थी द्वारा मरा जाना चाहिये
नाम व पता

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद :
आवासमय पशु बाड़ा के लिए

क्रमांक

देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना

आवेदन क्रमांक

चालान राशि

बैंक व शाखा का नाम ICICI Bank

डी.डी. संख्या

जमा करने की तिथि

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता मय सील

ICICI BANK A/C 018401008465

नगर विकास न्यास, कोटा
प्रथम प्रति

(बनाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

चालान नं. _____ दिनांक _____
नाम _____
पिता/पति का नाम _____
पता _____

देवनारायण नगर एकीकृत
आवास मय पशु बाड़ा

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
1. 10.50 X 21.00 मी. (35X 70 फुट Approx) 30000/-	
2. 10.50 X 27.00 मी. (35X 90 फुट Approx) 35000/-	
डी.डी. नं. _____ दिनांक _____ योग :-	

अक्षरे रूपये _____

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI BANK A/C 018401008465

नगर विकास न्यास, कोटा
द्वितीय प्रति

(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ क्लॉक/डेटो को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं. _____ दिनांक _____
नाम _____
पिता/पति का नाम _____
पता _____

देवनारायण नगर एकीकृत
आवास मय पशु बाड़ा

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
1. 10.50 X 21.00 मी. (35X 70 फुट Approx) 30000/-	
2. 10.50 X 27.00 मी. (35X 90 फुट Approx) 35000/-	
डी.डी. नं. _____ दिनांक _____ योग :-	

अक्षरे रूपये _____

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI BANK A/C 018401008465

नगर विकास न्यास, कोटा
तृतीय प्रति

(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

चालान नं. _____ दिनांक _____
नाम _____
पिता/पति का नाम _____
पता _____

देवनारायण नगर एकीकृत
आवास मय पशु बाड़ा

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
1. 10.50 X 21.00 मी. (35X 70 फुट Approx) 30000/-	
2. 10.50 X 27.00 मी. (35X 90 फुट Approx) 35000/-	
डी.डी. नं. _____ दिनांक _____ योग :-	

अक्षरे रूपये _____

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI BANK A/C 018401008465

नगर विकास न्यास, कोटा
चतुर्थ प्रति

(बनाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

चालान नं. _____ दिनांक _____
नाम _____
पिता/पति का नाम _____
पता _____

देवनारायण नगर एकीकृत
आवास मय पशु बाड़ा

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
1. 10.50 X 21.00 मी. (35X 70 फुट Approx) 30000/-	
2. 10.50 X 27.00 मी. (35X 90 फुट Approx) 35000/-	
डी.डी. नं. _____ दिनांक _____ योग :-	

अक्षरे रूपये _____

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI BANK A/C 018401008465

नगर विकास न्यास, कोटा
प्रथम प्रति
(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

देवनारायण नगर
पशु आहार विक्रय

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि 1- 04.50 X 6.00 मी. (15X 20 फुटApprox)	20,000/-
डी.डी. नं. दिनांक.....	
योग :-	20,000/-

अक्षरे रूपये बीस हजार मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI BANK A/C 018401008465

नगर विकास न्यास, कोटा
द्वितीय प्रति
(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ यूआईडीओ को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

देवनारायण नगर
पशु आहार विक्रय

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि 1- 04.50 X 6.00 मी. (15X 20 फुटApprox)	20,000/-
डी.डी. नं. दिनांक.....	
योग :-	20,000/-

अक्षरे रूपये बीस हजार मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI BANK A/C 018401008465

नगर विकास न्यास, कोटा
तृतीय प्रति
(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

देवनारायण नगर
पशु आहार विक्रय

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि 1- 04.50 X 6.00 मी. (15X 20 फुटApprox)	20,000/-
डी.डी. नं. दिनांक.....	
योग :-	20,000/-

अक्षरे रूपये बीस हजार मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI BANK A/C 018401008465

नगर विकास न्यास, कोटा
चतुर्थ प्रति
(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

देवनारायण नगर
पशु आहार विक्रय

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि 1- 04.50 X 6.00 मी. (15X 20 फुटApprox)	20,000/-
डी.डी. नं. दिनांक.....	
योग :-	20,000/-

अक्षरे रूपये बीस हजार मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI BANK A/C 018401008465
नगर विकास न्यास, कोटा

प्रथम प्रति
(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

देवनारायण नगर
डेयरी व्यवसाय

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
1- 30.00 X 50.00 मी. (99X 164 फुट Approx) 1,90,000/-	
2- 25.00 X 40.00 मी. (82X 132 फुट Approx) 1,30,000/-	
3- 17.50 X 30.00 मी. (58X 99 फुट Approx) 60,000/-	
डी.डी. नं.	
दिनांक.....	
योग :-	

अक्षरे रूपये

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI BANK A/C 018401008465
नगर विकास न्यास, कोटा

द्वितीय प्रति
(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ यू0आई0टी0 को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

देवनारायण नगर
डेयरी व्यवसाय

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
1- 30.00 X 50.00 मी. (99X 164 फुट Approx) 1,90,000/-	
2- 25.00 X 40.00 मी. (82X 132 फुट Approx) 1,30,000/-	
3- 17.50 X 30.00 मी. (58X 99 फुट Approx) 60,000/-	
डी.डी. नं.	
दिनांक.....	
योग :-	

अक्षरे रूपये

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI BANK A/C 018401008465
नगर विकास न्यास, कोटा

तृतीय प्रति
(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता

देवनारायण नगर
डेयरी व्यवसाय

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
1- 30.00 X 50.00 मी. (99X 164 फुट Approx) 1,90,000/-	
2- 25.00 X 40.00 मी. (82X 132 फुट Approx) 1,30,000/-	
3- 17.50 X 30.00 मी. (58X 99 फुट Approx) 60,000/-	
डी.डी. नं.	
दिनांक.....	
योग :-	

अक्षरे रूपये

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI BANK A/C 018401008465
नगर विकास न्यास, कोटा

चतुर्थ प्रति
(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक
नाम
पिता/पति का नाम
पता


देवनारायण नगर
डेयरी व्यवसाय

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
1- 30.00 X 50.00 मी. (99X 164 फुट Approx) 1,90,000/-	
2- 25.00 X 40.00 मी. (82X 132 फुट Approx) 1,30,000/-	
3- 17.50 X 30.00 मी. (58X 99 फुट Approx) 60,000/-	
डी.डी. नं.	
दिनांक.....	
योग :-	

अक्षरे रूपये

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI BANK A/C 018401008465 नगर विकास न्यास, कोटा प्रथम प्रति (जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)		ICICI BANK A/C 018401008465 नगर विकास न्यास, कोटा द्वितीय प्रति (बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ यूआईडीओ को प्रस्तुत करने हेतु)		ICICI BANK A/C 018401008465 नगर विकास न्यास, कोटा तृतीय प्रति (बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)		ICICI BANK A/C 018401008465 नगर विकास न्यास, कोटा चतुर्थ प्रति (जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)	
चालान नं.	दिनांक	चालान नं.	दिनांक	चालान नं.	दिनांक	चालान नं.	दिनांक
नाम	नाम	नाम	नाम	नाम	नाम	नाम	नाम
पिता/पति का नाम	पिता/पति का नाम	पिता/पति का नाम	पिता/पति का नाम	पिता/पति का नाम	पिता/पति का नाम	पिता/पति का नाम	पिता/पति का नाम
पता	पता	पता	पता	पता	पता	पता	पता
देवनारायण नगर भूसा गोदाम भूखण्ड		देवनारायण नगर भूसा गोदाम भूखण्ड		देवनारायण नगर भूसा गोदाम भूखण्ड		देवनारायण नगर भूसा गोदाम भूखण्ड	
विवरण	रूपये	विवरण	रूपये	विवरण	रूपये	विवरण	रूपये
पंजीयन राशि		पंजीयन राशि		पंजीयन राशि		पंजीयन राशि	
1- 30.00 X 60.00 मी. (99X 197 फुटApprox) 2,00,000/-		1- 30.00 X 60.00 मी. (99X 197 फुटApprox) 2,00,000/-		1- 30.00 X 60.00 मी. (99X 197 फुटApprox) 2,00,000/-		1- 30.00 X 60.00 मी. (99X 197 फुटApprox) 2,00,000/-	
2- 25.00 X 40.00 मी. (82X 132 फुटApprox) 1,20,000/-		2- 25.00 X 40.00 मी. (82X 132 फुटApprox) 1,20,000/-		2- 25.00 X 40.00 मी. (82X 132 फुटApprox) 1,20,000/-		2- 25.00 X 40.00 मी. (82X 132 फुटApprox) 1,20,000/-	
डी.डी. नं.		डी.डी. नं.		डी.डी. नं.		डी.डी. नं.	
दिनांक.....		दिनांक.....		दिनांक.....		दिनांक.....	
योग :-		योग :-		योग :-		योग :-	
अक्षरे रूपये		अक्षरे रूपये		अक्षरे रूपये		अक्षरे रूपये	
आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर		आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर		आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर		आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर	



Dropped pin

**GWALESHWAR
TEMPLE RANPUR**

ग्वालेश्वर
टेंपल रानपुर

Google